निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 ज्येष्ठ 1943 (श0)

(सं0 पटना 522) पटना, मंगलवार, 15 जून 2021

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

14 जून 2021

सं0 8प0/वि0–05/12/2021/2805/पं0रा0––बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम, 6, 2006) की धारा 94 (1) सह पठित धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014 में संशोधन करने हेतु एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।**– (1) यह नियमावली **बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2021** कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
2. **नियमावली के नियम 9 में संशोधन।**– उक्त नियमावली, 2014 के नियम 9 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

"9. नियत फीस का भुगतान।–सरपंच अथवा उसकी अनुपस्थिति में उप–सरपंच द्वारा निर्गत अनुपस्थिति प्रतिवेदन/विवरणी के आधार पर नियत मानदेय का भुगतान उस तरीके से किया जायेगा, जो सरकार, आदेश द्वारा, विहित करे।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अमृत लाल मीणा,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

The 14th June 2021

No-8Pa/Vi-05-12/2021/**2805**/P.R.--In exercise of the powers conferred by the Section 94(1) read with section 146 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2014 (Bihar Act 6, 2006) the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Gram Katchahry Secretary (Appointment, Service Conditions and Duties) Rules, 2014:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) These Rules may be called the **Bihar Gram Katchahry Secretary (Appointment, Service Conditions and Duties) (Amendment) Rules, 2021.**

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. **Amendment in Rule 9 of the Rules**.- Rule 9 of the said Rules, 2014 shall be substituted by the following:-

"9. Payment of fixed fees-Payment of fixed honorarium will be made on the basis of absentee report/statement issued by Sarpanch or in his absence by the Up-sarpanch in the manner which the Government may, by order, prescribe."

By order of the Governor of Bihar,
Amrit Lal Meena,
Additional Chief Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 522-571+500-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in